REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052025-262980 CG-DL-E-08052025-262980

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2001] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 8, 2025/वैशाख 18, 1947 No. 2001] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 8, 2025/VAISAKHA 18, 1947

> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) (स्टार्टअप इंडिया अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2025

का.आ. 2046(अ).— केंद्र सरकार ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में यथा परिभाषित स्टार्टअप्स होने के नाते पात्र ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी देने के उद्देश्य से 'स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस)' को अनुमोदित किया है।

यह अधिसूचना स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के संबंध में पूर्व राजपत्र अधिसूचना का.आ. 4741(अ), दिनांक 06 अक्टूबर, 2022 का अधिक्रमण करेगी और इस अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।

अध्याय |

प्रस्तावना

1. शीर्षक और प्रारंभ की तारीख

- i. स्कीम को स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएसएस) के नाम से जाना जाएगा।
- ii. यह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना की तारीख से लागू होगी।
- iii. स्कीम की अधिसूचना की तारीख को अथवा उसके पश्चात एक पात्र ऋण प्राप्तकर्ता को मंजूर ऋण/कर्ज सुविधाएं हेतु इस स्कीम के अंतर्गत शामिल करने का पात्र होगा।

2. स्कीम का उद्देश्य

 सीजीएसएस का व्यापक उद्देश्य पात्र स्टार्टअप्स को वित्त पोषण प्रदान करने के लिए सदस्य संस्थाओं (एमआई)
 द्वारा प्रदान किए गए ऋण साधन हेतु एक विशिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान करना है। यह स्कीम स्टार्टअप्स को अत्यावश्यक बंधकरहित ऋण प्रदान करने में मदद करेगी।

3. परिभाषा

इस स्कीम के उद्देश्य हेतु-

- i. न्यास या निधि का अर्थ है भारत सरकार द्वारा स्थापना हेतु प्रस्तावित स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएस) जिसका उद्देश्य निधि के ट्रस्टी के रूप में, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा प्रबंधित पात्र सदस्य संस्थाओं द्वारा पात्र ऋणदाताओं को विस्तारित ऋण अथवा कर्ज में चूक होने पर भुगतान की गारंटी देना है।
- ii. एनसीजीटीसी का अर्थ है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 28 मार्च, 2014 को स्थापित राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा स्थापित/स्थापित किए जाने वाले विभिन्न ऋण गारंटी निधि/न्यास का संचालन करने के लिए न्यासी के तौर पर कार्य करती है।
- iii. गैर-निष्पादित परिसंपत्ति का अर्थ है कि समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों और दिशानिर्देशों के आधार पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्ति।
- iv. चूक राशि का अर्थ है संग्रहित ब्याज सहित ऋण प्राप्तकर्ता के ऋण खाता (खाते) में बकाया ऋण राशि, खाते के एनपीए होने की तारीख को अथवा दावे का आवेदन करने की तारीख को, जो भी कम हो अथवा ऐसी कोई राशि जो निधि द्वारा निर्धारित की गई हो।
- v. किसी ऋण सुविधा के संबंध में प्रमुख प्रतिभूति का अर्थ है प्रदान किए गए ऋण से सृजित परिसंपत्तियां (भौतिक और अप्रत्यक्ष संपत्ति) और/अथवा मौजूदा भारमुक्त परिसंपत्तियां (भौतिक और अप्रत्यक्ष संपत्ति) जो कि उस परियोजना अथवा व्यवसाय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं जिसके लिए ऋण सुविधा प्रदान की गई है।
- vi. बंधकरहित प्रतिभूति का अर्थ है कि प्रमुख प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रदान की गई प्रतिभूति।
- vii. लेन-देन आधारित गारंटी कवर का अर्थ है एक पात्र ऋण प्राप्तकर्ता आधार पर ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्था से प्राप्त गारंटी कवर।
- viii. अंब्रेला आधारित गारंटी कवर का अर्थ है पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं के एक समूह के लिए ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्था से प्राप्त गारंटी कवर।
- ix. लॉक इन पीरियड इसका अर्थ है कि इस अवधि के दौरान गारंटी का आह्वान नहीं किया जा सकता है।

- x. रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है।
- xi. सदस्य संस्था (एमआई) का अर्थ है कि एक वित्तीय अंतर्वर्ती (बैंक, एफआई, एनबीएफसी, एआईएफ) जोकि ऋण प्रदान करने/निवेश करने में संलग्न है और स्कीम के अंतर्गत और समय-समय पर न्यास द्वारा यथासंशोधित यथा अनुमोदित पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और जिसने गारंटी प्राप्त करने के लिए न्यास के साथ समझौता किया/वचनबद्धता प्रस्तुत की है।
- xii. उद्यम ऋण निधि (वीडीएफ) का अर्थ है सेबी के वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) विनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऋण निधि।
- xiii. किसी वीडीएफ द्वारा स्टार्टअप्स में साझा निवेश (पीआईएस) का अर्थ है निधि की अवधि कार्यकाल के दौरान डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में संचयी निवेश।
- xiv. वीडीएफ के कार्यकाल का अर्थ है वीडीएफ के फर्स्ट क्लोज की तारीख (कॉर्पस हेतु संसाधनों का पहला वित्तांश प्रदान करने की तारीख) से वीडीएफ की अंतिम तारीख तक की अवधि।
- xv. चैंपियन क्षेत्र: "मेक इन इंडिया" और समय-समय पर इसमें किए गए संशोधनों के तहत वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चिन्हित 27 चैंपियन क्षेत्र।

अध्याय II

स्कीम का कार्य क्षेत्र

4. पात्र ऋण प्राप्तकर्ता

स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए किसी कंपनी के पात्रता मानदंड निम्नानुसार होगें, जिसमें किसी कंपनी को:

- i. समय-समय पर जारी राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होना चाहिए, और
- ii. स्टार्टअप किसी ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्थान के प्रति चूककर्त्ता नहीं होना चाहिए और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं होना चाहिए, और
- iii. ऐसे स्टार्टअप जिनकी पात्रता गारंटी कवर के उद्देश्य हेतु सदस्य संस्था द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

5. पात्र ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्था

स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी स्कीम के अंतर्गत ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

- i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्था,
- ii. आरबीआई के पास पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) जिसकी आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी अथवा उससे ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए और कम से कम 100 करोड़ रु. की निवल संपत्ति होनी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि यदि एनबीएफसी बाद में, क्रेडिट रेटिंग बीबीबी से नीचे होने के कारण गैर-पात्र हो जाती है तो एनबीएफसी पुन: पात्र श्रेणी की ऋण गारंटी प्राप्त करने तक, आगे के गारंटी कवर करने की पात्र नहीं होगी।
- iii. सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) होना चाहिए।

6. ऋणदाता/निवेशकर्त्ता संस्था द्वारा निष्पादित किए जाने वाले/प्रस्तुत समझौते/वचनबद्धता

कोई ऋणदाता/निवेशकर्ता संस्था तब तक उसके द्वारा प्रदान की गई पात्र ऋण/ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि वह न्यासी के साथ समझौता नहीं करती/न्यासी द्वारा यथा अपेक्षित रूप में न्यासी को वचनबद्धता प्रस्तुत करती है।

7. स्कीम के अंतर्गत सदस्य संस्था की जिम्मेदारियां

स्कीम के अंतर्गत सदस्य संस्था (एमआई) की जिम्मेदारियां निम्नानुसार हैं:

- i. सदस्य संस्था (एमआई) विवेकपूर्ण बैंकिंग परख दर्शाते हुए ऋण आवेदनों का मूल्यांकन करेंगे और वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक प्रस्तावों का चयन करने में अपने व्यवसाय संबंधी समझदारी/कर्मठता का परिचय देंगे तथा सामान्य बैंकिंग बुद्धिमत्ता से ऋण प्राप्तकर्ता के खाता (खाते) का संचालन करेंगे।
- ii. सदस्य संस्था (एमआई) ऋण प्राप्तकर्ता के खाते की ध्यानपूर्वक निगरानी करेंगे।
- iii. सदस्य संस्था (एमआई) अच्छी और प्रवर्तन योग्य शर्तों के रूप में ऋण सुविधा के एवज में ऋणप्राप्तकर्ता से प्राप्त प्रमुख प्रतिभूतियों की सुरक्षा करेंगे।
- iv. सदस्य संस्था (एमआई) सुनिश्चित करेंगे कि ऋण सुविधा और ऋण प्राप्तकर्ता के संबंध में दावा की गई गारंटी इस संबंध में न्यास द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप में पद्धति और ऐसी समय सीमा के भीतर न्यास में जमा की जाए और यह भी कि ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में उसकी ओर से चूक की सूचना देने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए जिसके परिणामस्वरूप न्यास को अधिक उच्चतर गारंटी दावों का सामना करना पड़ेगा।
- v. सदस्य संस्था (एमआई) को न्यास द्वारा दावा की गई गारंटी का भुगतान करना किसी भी रूप में ऋणदाता/निवेशकर्ता संस्था को इस जिम्मेदारी को दूर नहीं करता कि उसे ऋणप्राप्तकर्ता से ऋण की संपूर्ण बकाया राशि प्राप्त करनी है। सदस्य संस्था (एमआई) सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करेगा और उसके द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधा की संपूर्ण राशि पुन: ऋण प्राप्तकर्ता को सहायता प्रदान करेगा तथा बकाया राशि की वापसी के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई करेगा जिसमें न्यास/न्यासी द्वारा दी गई सलाह जैसी अपने अपेक्षित कार्रवाई शामिल है।
- vi. सदस्य संस्था (एमआई) गारंटीकृत खाते में रिकवरी करने के लिए अथवा गारंटर के रूप में उसके हितों की सुरक्षा के लिए, न्यास/न्यासी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि न्यास/न्यासी के अनुसार उचित है और सदस्य संस्था इन निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- vii. सदस्य संस्था (एमआई) किसी भी गारंटीकृत खाते के मामले में शेष राशि की रिकवरी करने और सभी प्रकार से न्यास के हितों की सुरक्षा के लिए समान रूप से समझदारी का परिचय देते हुए कार्य करेगी जैसा कि न्यास द्वारा गारंटी न दिए जाने के मामले में सामान्य तौर पर करती है। सदस्य संस्था (एमआई) विशेष रूप से, गारंटी के आह्वान से पहले या उसके पश्चात, किसी भूल-चूक से बचेगा जिससे कि गारंटर के रूप में न्यास के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से, सदस्य संस्था (एमआई) को व्यक्तिगत गारंटी अथवा प्रतिभूति पूरी करने अथवा छूट देने को प्रभावित करने वाले किसी समझौते या व्यवस्था में शामिल होने के संबंध में न्यास को सूचित करना चाहिए। सदस्य संस्था (एमआई) न्यास को सूचित किए बिना स्वयं अथवा किसी अन्य ऋणदाता की ओर से, ऋण प्राप्तकर्ता से चाहे किसी समझौते के निर्धारण के माध्यम से अथवा अन्य प्रकार से यह भी सुनिश्चित करेगा कि वह गारंटी कवर खाते में धारित प्रतिभूति पर कोई प्रभार नहीं लगाएगा जिससे गारंटी में कवर न किए गए किसी खाते को लाभ पहुंचे। इसके अतिरिक्त सदस्य संस्था (एमआई) न्यास/न्यासी अथवा इसके द्वारा नियुक्त एजेंसी के लिए यह सुनिश्चित करेगी कि ऋण प्राप्तकर्ता अथवा अन्य से एक समझौते में यह शर्त निर्धारित करेगा कि उसके पास न्यास/न्यासी की वेबसाइट पर चूकर्का ऋण प्राप्तकर्ताओं के नाम और उनके विवरणों की सूची अपलोड करने का अधिकार होगा।

5

अध्याय III शुल्क संरचना

8. गारंटी शुल्क

लेन-देन आधारित गारंटी कवर हेतु:

- गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्य संस्था गारंटी शुल्क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेदन की तारीख को संवितरण/बकाया राशि (स्वीकृत राशि पर, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा के मामले में) पर प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की दर से वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करेगा।
- मूर्वोत्तर क्षेत्र की इकाइयों के साथ-साथ महिला उद्यमियों की इकाइयों के लिए, सदस्य संस्था गारंटी शुल्क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेदन की तारीख को संवितरण/बकाया राशि (स्वीकृत राशि पर, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा के मामले में) पर प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत की मानक दर से वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करेगा।
- iii. 27 चैंपियन क्षेत्रों की इकाइयों के लिए, सदस्य संस्था गारंटी शुल्क के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को, गारंटी कवर के आवेदन की तारीख को संवितरण/बकाया राशि (स्वीकृत राशि पर, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा के मामले में) पर प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की मानक दर से वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) का भुगतान करेगा।
- iv. सभी परवर्ती एजीएफ की गणना बकाया ऋण/उद्यम ऋण राशि (स्वीकृत राशि पर, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा के मामले में) के आधार पर की जाएगी जैसाकि वित्तीय वर्ष के आरंभ होने और यथा अनुपात आधार पर कुल स्वीकृत राशि में से पहले और बाद के वर्षों के दौरान किए गए अतिरिक्त संवितरणों के आधार पर होगा।
- v. तथापि, सीजीएसएस की प्रबंधन समिति (एमसी) एमआई की रेटिंग, एनपीए स्तर, भुगतान अनुपात आदि के आधार पर किसी विशिष्ट एमआई के गारंटी शुल्क को संशोधित करने का अधिकार रखती है। ऐसे संशोधन, यदि कोई हो तो, उस प्रस्ताव के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए एमआई द्वारा नए गारंटी कवर की मांग की गई है।
- vi. नई गारंटी के संबंध में एजीएफ के लिए एमआई पर मांग, गारंटी कवर के अनुमोदन के पश्चात ही प्रस्तुत की जाएगी। गारंटी शुरू होने की तारीख वह तारीख होगी जिस दिन एजीएफ का राशि न्यास के बैंक खाते में जमा हो जाएगा। एजीएफ की गणना पहले (प्रथम संवितरण/बाद के संवितरण की तारीख से) और अंतिम वर्ष (खाते के बंद होने तक) हेतु यथा अनुपात आधार पर की जाएगी और वित्त वर्ष के शुरू होने पर बकाया ऋण राशि (स्वीकृत राशि पर, कार्यशील पूंजी सुविधा और गैर-निधि आधारित सुविधा के मामले में) पर बीच के वर्षों हेतु इसकी पूर्ण गणना की जाएगी। वर्ष के आरंभ होने पर गारंटी कवर के नवीकरण के लिए, प्रत्येक वर्ष 30 दिनों के भीतर अर्थात 30 अप्रैल को या उससे पूर्व, एमआई द्वारा एजीएफ का भुगतान किया जाएगा।
- vii. आगे प्रावधान किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा अथवा ऐसे शर्तों पर न्यासी द्वारा सहमति के अनुसार बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर एजीएफ का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी ऋण सुविधा की गारंटी के संबंध में न्यास की देयता उस ऋण सुविधा हेतु समाप्त हो जाएगी जिसके लिए एजीएफ देय है और भुगतान नहीं किया गया है।

अंब्रेला आधारित गारंटी कवर हेतु:

- i. गारंटी कवर का लाभ प्राप्त करने के लिए, सदस्य संस्था को प्रतिबद्ध प्रभार के ऋण गारंटी मांग सलाह नोट (सीजीडीएएन) की तारीख से 30 दिनों के भीतर न्यास को स्टार्टअप्स में प्रस्तावित साझा निवेश के 0.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक प्रतिबद्धता प्रभार (एसीसी) के रूप में गारंटी शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि स्टार्टअप्स में साझा निवेश राशि आरंभ में प्रस्तावित राशि से अधिक होती है, तो ऐसे मामले में एमआई को समय-समय पर शेष गारंटी शुल्क (प्रतिबद्धता प्रभार) का भुगतान करना होगा।
- ii. सभी परवर्ती एसीसी की गणना उसी आधार पर की जाएगी अर्थात् वीडीएफ के स्टार्टअप्स में साझा निवेश का 0.15
 प्रतिशत और गारंटी कवर के नवीकरण के लिए, एमआई वीडीएफ के कार्यकाल के अंत तक प्रत्येक वर्ष 30 दिनों के भीतर अर्थात् 30 अप्रैल को अथवा उससे पूर्व एसीसी का भुगतान करेगा। वीडीएफ द्वारा प्राप्त एसीसी को लौटाया नहीं जाएगा।
- iii. एमआई गारंटी दावे के शुरू/दायर दावे को स्वीकार किए जाने के समय से एकबारगी गारंटी शुल्क के रूप में स्टार्टअप्स में साझा निवेश के 1% का भुगतान करेगी। यदि एमआई द्वारा कोई दावा नहीं किया गया तो यह वीडीएफ के समापन की तारीख से 30 दिनों के भीतर गारंटी समापन प्रभार के रूप में स्टार्टअप्स में साझा निवेश के 0.25 प्रतिशत का भुगतान करेगा।
- iv. ऊपर निर्धारित अवधि के पश्चात भुगतान में देरी होने के मामले में, एमआई को अंतिम भुगतान की तारीख तक मौजूदा रेपो रेट से ऊपर 4% के दंडात्मक प्रभार सहित उसका भुगतान करना होगा।
- v. एसीसी की गणना प्रचालन के पहले और अंतिम वर्ष को शामिल करते हुए वीडीएफ के कार्यकाल के दौरान पूरे वर्षों के लिए की जाएगी चाहे प्रचालन को शुरू करने की तारीख और वीडीएफ के समापन की तारीख कुछ भी हो। वीडीएफ के पहले और आखिरी वर्ष हेतु किसी यथा अनुपात भुगतान की परिकल्पना नहीं की गई है।
- vi. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अथवा ऐसे शर्तों पर न्यासी द्वारा सहमति के अनुसार बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर एसीसी का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी ऋण सुविधा की गारंटी के संबंध में न्यास की देयता उस ऋण सुविधा हेतु समाप्त हो जाएगी जिसके लिए एसीसी बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है।
- vii. प्रतिबद्ध प्रभार के भुगतान में कोई कमी होने पर, गॉरन्टी कवर तब तक शुरू नहीं होगा जब तक की एमआई द्वारा शेष प्रतिबद्ध शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता। भुगतान की गई किसी भी अतिरिक्त राशि को न्यास द्वारा वापस कर दिया जाएगा। इस संबंध में एमआई द्वारा कोई अभ्यावेदन दिए जाने पर, न्यास उसके पास उपलब्ध सूचना और एमआई से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर निर्णय लेगा। इन सब के बावजूद, निधि/न्यासी का निर्णय एमआई के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- viii. निधि को एमआई द्वारा एक बार भुगतान किए गए गारंटी शुल्क/प्रतिबद्धता प्रभार को वापस नहीं किया जाएगा सिवाए निम्नलिखित कुछ परिस्थितियों के –
 - क. अधिक मात्रा में प्रेषण
 - ख. एक ही पोर्टफोलियो/उद्यम ऋण हेतु एक से अधिक बार प्रेषण
 - ग. देय के अतिरिक्त वार्षिक गारंटी शुल्क/प्रतिबद्धता प्रभार।
- ix. एमआई प्रत्येक नए आवेदन के साथ अथवा गारंटी कवर के नवीकरण के दौरान जारी रखने/अद्यतन करने संबंधी आवेदन दायर करने के साथ न्यास द्वारा यथा निर्धारित सांविधिक लेखा परीक्षण प्रमाणपत्र/प्रबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित प्रमाणित किया गया होः

- क. लेखा जिसके लिए गारंटी ली जा रही है, वह सीजीएसएस की अधिसूचना की तारीख के पश्चात मंजूर की गई पात्र ऋण के अनुरूप है।
- ख. ऋण को वीडीएफ की निवेश समिति द्वारा मंजूर किए जाने और सावधानी पूर्वक जाँच के पश्चात स्वीकृत किया गया है।
- ग. ऋण प्राप्तकर्त्ता का कार्य जिसके लिए साख/ऋण सुविधा प्रदान की गई थी वह बंद नहीं हुई है।

अध्याय IV

गारंटी

9. गारंटी प्रपत्र

- i. इस मॉडल के अंतर्गत ऋण गारंटी कवर या तो लेन-देन आधारित होगा अथवा अंब्रेला आधारित होगा।
- ii. एआईएफ स्कीम के अंतर्गत लेन-देन आधारित गारंटी कवर प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- iii. लेन-देन आधारित गारंटी कवर के संबंध में, गारंटी कवर गारंटी शुल्क के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और ऋण/कर्ज सुविधा के संबंध में सहमत अवधि तक चालू रहेगा।
- iv. अंब्रेला आधारित गारंटी के संबंध में, यह कवर स्टार्टअप्स में साझा निवेश के आधार पर होता है। यह गारंटी कवर प्रतिबद्ध प्रभार के भुगतान की तारीख से शुरू होगा और वीडीएफ के कार्यकाल तक चालू रहेगा बशर्ते कि कवर किए गए ऋण प्राप्तकर्ता स्कीम के अंतर्गत कवरेज के पात्र हों और प्रतिबद्ध प्रभार का भुगतान वार्षिक रूप से वीडीएफ के प्रचालन के पहले वर्ष से इसकी समाप्ति तक किया गया हो।

10. सहायता के साधन

- i. सहायता के साधन उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ ऋण/मैजेनाइन ऋण, डिवेंचर, विकल्प रूप में परिवर्तनीय ऋण और ऋण दायित्व के रुप में नियत अन्य निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधा के रुप में होंगे।
- aैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण को आंशिक अथवा पूरी तरह से इक्विटी में परिवर्तित किए जाने की दशा में, ऋण प्राप्तकर्ता का ऋण दायित्व और गारंटी इक्विटी परिवर्तन की सीमा तक कम हो जाएगा। [तथापि, एमआई को निधि/ न्यासी से पूर्व अनुमति लेनी होगी जिसमें शर्तें हो सकती हैं अथवा पूर्व-समापन प्रीमियम लग सकता है अथवा इसे दावे के अंतिम निपटान के दौरान नकद अंतर्वाह माना जा सकता है]।

11. गारंटी कवर की अधिकतम सीमा

- i. अधिकतम गारंटी कवर प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 20 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा।
- ii. इस स्कीम में कवर की जा रही ऋण सुविधा को किसी अन्य गारंटी स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
- iii. ऐसी ऋण सुविधाओं के संबंध में जहां पर उसका एक भाग आंशिक बंधक रहित प्रतिभूति के माध्यम से सुरक्षित किया गया हो, असुरक्षित सुविधा वाला शेष भाग गारंटी स्कीम के अंतर्गत कवर होगा। गारंटी बकाया सीमा तक सीमित रहेगी जिसमें अपने मूल्यांकन नीति दिशानिर्देशों के अनुसार एमआई द्वारा स्वीकृत बंधक प्रतिभूति मूल्य को कम कर दिया जाएगा, बशर्ते कि स्कीम की अन्य शर्तों का अनुपालन किया गया हो।

12. गारंटी की सीमा

लेन-देन आधारित गारंटी कवर हेतु- न्यास नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के शर्ताधीन गारंटी कवर प्रदान करेगा:

- i. 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि के लिए चूक की राशि का 85%; और
- ii. 10 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए चूक की राशि का 75%।

अंब्रेला आधारित गारंटी कवर हेतु

i. न्यास वास्तविक हानि अथवा साझा निवेश के अधिकतम 5% तक जिस पर स्टार्टअप में निधि से कवर किया जा रहा है, जो भी कम हो, का गारंटी कवर प्रदान करेगा, जोकि प्रति ऋण प्राप्तकर्ता 20 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है। हानियों को चूक की तारीख से 3 माह संग्रहित ब्याज सहित छोड़ दी गई परिसंपत्तियों के मूल निवेश के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है। आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों के मामले में, सिर्फ मूल हिस्से को बट्टे खाते में डाला जाता है और उस पर 3 माह के संग्रहित ब्याज सहित चूक की तारीख से हानि वाली परिसंपत्ति में जोड़ा जाएगा। अंब्रेला आधारित गारंटी कवर उद्यम ऋण निधि की अवधि के माध्यम से चालू रहेंगे।

अध्याय V

दावे

13. गारंटी शुरू करना/ दावे का निपटान

लेनदेन आधारित गारंटी कवर हेतु

- i. खाते के एनपीए में परिवर्तित होने के समय ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी लागू थी।
- ii. कवर की गई ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी कवर शुरू होने की तारीख से 12 माह की लॉक-इन अवधि व्यतीत हो गई है।
- iii. ऋण/उद्यम ऋण साख सुविधा के संबंध सदस्य संस्था को देय और भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान न किया गया हो और देय राशि को सदस्य संस्थान द्वारा गैर- निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बशर्ते कि सदस्य संस्थान उक्त ऋण/उद्यम ऋण साख सुविधा के संबंध में न्यास पर कोई दावा नहीं करेगा अथवा करने का हकदार होगा, यदि न्यास द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत कार्य/निर्णय के कारण अथवा उल्लंघन करने के कारण उक्त ऋण सुविधा के संबंध में हानि होती है।
- iv. गारंटी कवर शुरू होने की तारीख से 12 माह की लॉक-इन-अवधि निर्धारित की गई है।
- v. वर्ष के दौरान स्कीम के तहत गारंटी खाते हेतु एमआई को अधिकतम गारंटी राशि का भुगतान वर्ष के दौरान कुल मंजूर की गई राशि का अधिकतम 20% होगा (जहां कम से कम 90% की राशि वितरित की गई है)
- vi. सदस्य संस्था, यदि एनपीए लॉक-इन अवधि के पश्चात अथवा लॉक-इन अवधि के दो वर्षों के भीतर, यदि एनपीए लॉक-इन अवधि के भीतर होता है तो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के पश्चात, एनपीए की तारीख से 12 माह की अधिकतम अवधि के भीतर ऋण सुविधाओं के संबंध में गारंटी को शुरू कर सकता हैः
 - क. दावा दर्ज कराने से पहले, एमआई ये सुनिश्चित करेंगी कि ऋण/ऋण सुविधा वापस ली गई है, तथा आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के जरिए कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर किसी अन्य प्रक्रिया, जिसे न्यासी द्वारा उचित समझा जाए, के जरिए वसूली संबंधी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

आईबीसी के तहत कार्यवाही के मामले में, नोटिस की स्वीकृति और दिवालियापन समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति अपेक्षित है। एसएआरएफएईएसआई के मामले में, अधिनियम की धारा 13(4) में निहित कार्रवाई, जिसमें सुरक्षित ऋणप्राप्तकर्ता इसमें दिए गए चार उपायों में से किसी एक या अधिक उपायों का अवलंब ले सकते हैं। डीआरटी के मामले में, इसमें आवेदन दर्ज किया जाना चाहिए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कार्रवाई की जानी चाहिए. जिसका निधि/न्यासी द्वारा समय-समय पर निर्णय किया गया हो।

- ख. एमआई द्वारा दावे को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथमिकता देनी चाहिए जैसा कि न्यासी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो ।
- ग. लेन-देन आधारित गारंटी कवर के लिए, न्यास, एमआई द्वारा दायर पात्र दावों को वरीयता देते हुए 60 दिनों के भीतर गारंटी की राशि के 75 प्रतिशत का भुगतान करेगा जो दावे अन्य सभी प्रकार से उचित और पूरी तरह से पूर्ण होने के अध्यधीन होगा। न्यास 30 दिन से अधिक के विलंब पर लागू रेपो रेट पर पात्र दावा राशि के संबंध में एमआई को ब्याज का भुगतान करेगा। गारंटी की शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान एमआई द्वारा वसूली संबंधी कार्यवाही पूरी करने पर अथवा एमआई द्वारा ऋणप्राप्तकर्ताओं के बकाया देय को छोड़ने के बाद किया जाएगा। दावे का भुगतान होने पर, न्यास संबंधित ऋणप्राप्तकर्ताओं के संबंध में लागू गारंटी की राशि पर अपने सभी दायित्वों से मुक्त माना जाएगा।
- vii. एमआई के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) की अनुमति खाते के एनपीए हो जाने के एक वर्ष बाद ही दी जाएगी, जिसमें मौजूदा गारंटी कवर से 20% कम कटौती की जाएगी।

अम्ब्रेला-आधारित गारंटी कवर के लिए

- i. वीडीएफ के संबंध में गारंटी कवर वीडीएफ की समाप्ति के समय लागू था तथा कोई वार्षिक प्रतिबद्धता प्रभार लंबित नहीं है।
- ii. स्टार्ट-अप्स में कवर्ड साझा निवेश पर 1 प्रतिशत का गारंटी शुल्क एमआई द्वारा दिया गया है।
- iii. उद्यम ऋण सुविधा के संबंध में लंबित और वीडीएफ को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है तथा देय राशि को वसूल नहीं किया गया है। बशर्ते कि यदि उक्त सुविधा से संबंधित हानि न्यास द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विपरीत अथवा उसका उल्लंघन करके किए गए कार्यों/लिए गए निर्णयों के कारण होती है, तो वीडीएफ उक्त उद्यम ऋण सुविधा के संबंध में न्यास पर कोई दावा नहीं करेगा अथवा दावा करने का पात्र नहीं होगा।
- iv. वीडीएफ दावा दायर करते समय अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें परिसम्पत्तियों की हानि [निवेशकर्त्ता कंपनी का नाम, निवेश की तारीख, मूलधन को बट्टे खाते में डालने से संबंधित विवरण (बट्टे खाते की राशि और तारीख), वसूली, यदि कोई हो, उद्यम ऋण सुविधा की शर्तें जैसे कूपन दर, पुनर्भुगतान कार्यक्रम, तथा चूक की तारीख] का ब्यौरा होगा। निपटान के समय दावे की राशि तक पहुंचने के लिए परिसम्पत्तियों की हानि में से वसूलियों, यदि कोई हों, की कटौती की जाएगी।
- v. एमआई अंतिम वितरण से पहले वीडीएफ के जीवन चक्र के पूरा होने के बाद तथा निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उद्यम ऋण सुविधा के संबंध में गारंटी वापस ले सकती है:
- क. दावा दर्ज कराने से पहले, एमआई ये सुनिश्चित करेंगी कि उद्यम ऋण सुविधा वापस ली गई है तथा मध्यस्थ, आईबीसी, एसएआरएफएईएसआई, डीआरटी के जरिए कानून की उचित प्रक्रिया के तहत न्यायालयों या उनके बाहर किसी अन्य प्रक्रिया, जिसे न्यासी द्वारा उचित समझा जाए, के जरिए वसूली संबंधी कार्यवाही शुरू की जा चुकी है। आईबीसी के तहत कार्यवाही के मामले में, नोटिस की स्वीकृति और दिवालियापन समाधान पेशेवर (आईआरपी) की नियुक्ति अपेक्षित है। एसएआरएफएईएसआई के मामले में, अधिनियम की धारा 13(4) में निहित कार्रवाई, जिसमें सुरक्षित ऋणप्राप्तकर्ता इसमें दिए गए चार उपायों में से किसी एक या अधिक उपायों का अवलंब

ले सकते हैं। डीआरटी के मामले में, इसमें आवेदन दर्ज किया जाना चाहिए। वसूली के अन्य तरीकों के तहत समान कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसका निधि/न्यासी द्वारा समय-समय पर निर्णय किया गया हो।

- ख. एमआई द्वारा दावे को इस प्रकार तथा ऐसी समय सीमा के भीतर प्राथमिकता देनी चाहिए जैसा कि न्यासी द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो।
- ग. एमआई को गारंटी दावे के भुगतान से एमआई ऋणप्राप्तकर्ता से ऋण की समस्त बकाया राशि की लागू ब्याज सहित वसूली की जिम्मेदारी से किसी भी तरह मुक्त नहीं हो सकती है। एमआई सभी आवश्यक सावधानी बरतेगी और इसके द्वारा दी गई स्टार्ट-अप ऋण सुविधा की समस्त राशि के लिए ऋणप्राप्तकर्ता पर अपना अवलंब बनाए रखेगी और बकाया राशि की वसूली के लिए उन कार्यों सहित, जिसकी सलाह न्यास/न्यासी द्वारा दी गई हो, ऐसी आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगी।
- घ. एमआई गारंटी की राशि की वसूली में सहायता तथा ऋण की गारंटी देने वाले के रूप में अपने हितों की सुरक्षा, जैसा कि न्यास ने उचित माना हो, के लिए न्यास/न्यासी द्वारा समय-समय पर जारी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगी तथा एमआई ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी।
- ङ. एमआई गारंटी वाली किसी भी राशि के संबंध में, बकाया राशि की वसूली और न्यास के हितों की सुरक्षा के लिए उसी तत्परता से सभी उपाय करेगी जिनका इस्तेमाल वह सामान्य स्थिति में करती है, जब न्यास द्वारा गारंटी न दी गई हो। एमआई, विशेष रूप से, गारंटी के निर्धारण से पहले या बाद में, छोड़ने या शुरू करने की ऐसी कार्रवाई से बचेगा जिससे गारंटी देने वाले के तौर पर न्यास के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खास तौर पर, एमआई को न्यास या न्यासी को ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए जिसका निजी गारंटी (गारंटियों) या प्राथमिक प्रतिभूति पर छोड़ने या माफ करने वाला प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, एमआई लेनदारों अथवा अन्य के साथ करार में निर्धारण के जरिए न्यास/न्यासी अथवा इसकी नियुक्तकर्त्ता एजेंसी के लिए चूककर्त्ता लेनदारों के नाम व ब्यौरे प्रकाशित करने का अधिकार सुनिश्चित करेगी।
- च. अम्ब्रेला आधारित गारंटी कवर के लिए, न्यास पूर्ण और अंतिम दावे के रूप में इस स्कीम के तहत पात्रता के अनुसार 60 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत गारंटी राशि का भुगतान करेगा जो दावे के अन्य सभी प्रकार से सही पाए जाने तथा सभी प्रकार से पूर्ण होने के अध्यधीन है ।
- छ. यदि इक्विटी संबद्ध साधन पर मिले प्रतिफल से अच्छी आय होती है तो उसे निपटान राशि में से काटा जाएगा अथवा जब भी एमआई द्वारा ऐसे प्रतिफल को दर्ज किया जाता है, तो इसे न्यास को लौटाया जाएगा।
- ज. यदि न्यास ऋण के मूल्यांकन/नवीकरण/जांच/आचरण के मामले में त्रुटि के कारण अथवा जहां एक से अधिक बार दावा किया गया था अथवा जहां दावों के निपटान के समय एमआई द्वारा निवेश संबंधी किसी महत्वपूर्ण जानकारी में रूकावट डाले जाने पर इसकी वापसी का निर्णय करता है, तो एमआई न्यास द्वारा जारी दावे को रेपो दर के अतिरिक्त 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष के दंडात्माक ब्याज सहित लौटाने के लिए जिम्मेदार होगी। न्यास द्वारा मांगे जाने पर, एमआई दावे की पहली किस्त जारी करने की तारीख से लेकर दावे की वापसी की तारीख तक के दंडात्माक ब्याज का भुगतान करेगी।

14. अधिकारों का प्रस्थापन और भुगतान किए गए दावों से संबंधित वसूलियां

i. एमआई वसूली, प्राप्ति हेतु किए गए अपने प्रयासों और अन्य जानकारी, जो समय-समय पर मांगी गई हो अथवा अपेक्षित हो, के बारे में न्यास/न्यासी को ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। एमआई का स्वयं की ओर से और न्यास की ओर से ऋणप्राप्तकर्ता को दी गई ऋण सुविधा से निर्मित परिसम्पत्तियों पर अधिकार होगा। न्यास किसी प्रस्थापन अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेगा तथा परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण, परिसम्पत्तियों की बिक्री आदि सहित बकाया राशि की वसूली की जिम्मेदारी एमआई की होगी।

- ii. किसी वित्तीय तिमाही में वसूली गई प्रत्येक राशि तथा न्यास को दी जाने वाली राशि का भुगतान तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर बिना किसी विलंब के किया जाएगा तथा यदि न्यास को दी जाने वाली राशि 30 दिन की अवधि के पश्चात् भी नहीं दी जाती, तो एमआई द्वारा 30 दिन की उक्त अवधि के बाद उस अवधि के लिए न्यास को लागू रेपो दर से 4 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें भुगतान बकाया रहा हो।
- iii. एमआई द्वारा गारंटर को दावे के पश्चात् की वसूली का प्रेषण अंतिम दावे के निपटान के बाद अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है, जिसके बाद यह खाता न्यास के बही खातों में बंद कर दिया जाएगा।
- iv. यदि ऋणप्राप्तकर्ता के एमआई में कई अलग-अलग ऋण हैं तथा उनमें से किसी एक या अधिक के लिए भुगतान किया जाता है, फिर चाहे वह खाता, जिसके लिए भुगतान किया गया है, न्यास की गारंटी के अंतर्गत आता हो अथवा नहीं तथा ऐसे ऋणप्राप्तकर्ता द्वारा बताए गए विनियोजन के तरीके अथवा वास्तव में विनियोजित ऐसे भुगतान के तरीके को ध्यान में रखे बिना, जिसके लिए दावे को प्राथमिकता दी गई है तथा भुगतान किया गया है, ऐसे भुगतान इस खंड के प्रयोजन के लिए, गारंटी द्वारा कवर ऋण के संबंध में सदस्य संस्था द्वारा विनियोजित माना जाएगा।

अध्याय VI

प्रबंधन

15. प्रबंधन समिति

- i. न्यास के कामकाज के पर्यवेक्षण के लिए डीपीआईआईटी द्वारा एक प्रबंधन समिति (एमसी) का गठन किया जाएगा।
- ii. प्रबंधन समिति (एमसी) न्यास के कार्य की समीक्षा, पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी और ऋण गारंटी स्कीम से संबंधित व्यापक नीतिगत मामलों पर न्यास को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
- iii. प्रबंधन समिति (एमसी) को स्कीम के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने और स्कीम से संबंधित निम्नलिखित मांगों को संशोधित करने का संपूर्ण अधिकार होगा:
 - क. गारंटी उत्पादों के प्रकार
 - ख. गारंटी कवरेज की सीमा
 - ग. स्कीम के अंतर्गत पात्र साधन
 - घ. कवरेज राशि और हानि की गणना
 - ङ. गारंटी शुल्क
 - च. दावों का निपटान और गारंटी की शुरुआत करना
 - छ. लाभ संबंधी अनुपात के बारे में सीमा का निर्धारण, संशोधन और निगरानी
 - ज. सीजीएसएस से संबंधित कोई भी अन्य विषयपरक मानक
 - झ. एमआई की पात्रता
- iv. डीपीआईआईटी स्कीम के हित में आवश्यक समझे जाने वाली कोई भी अन्य जिम्मेदारियां एमसी को सौंप सकती है।
- v. एमसी की संरचना निम्नानुसार होगी:
 - क. सचिव, डीपीआईआईटी, अध्यक्ष
 - ख. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, डीपीआईआईटी, सदस्य

- ग. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (स्टार्टअप्स), डीपीआईआईटी, सदस्य
- घ. संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, सदस्य
- ङ. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ),एनसीजीटीसी, सदस्य सचिव
- च. समय-समय पर सचिव, डीपीआईआईटी द्वारा नामित किए गए इकोसिस्टम के विशेषज्ञ
- vi. डीपीआईआईटी स्टार्टअप इकोसिस्टम से ऐसे विशेषज्ञों को प्रबंधन समिति (एमसी) में सदस्य के रूप में नामित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझता है बशर्ते कि हितों का टकराव न हो और नियुक्ति की शर्तों के संबंध में निर्णय ले सकता है। प्रबंधन समिति (एमसी) उद्योग/संबद्ध क्षेत्र के ऐसे विशेषज्ञों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है, जिन्हें वह सीजीएसएस के मामले में सलाह और मार्गदर्शन लेने के लिए 'विशेष आमंत्रित' के तौर पर बुलाया जाना आवश्यक समझता है।
- vii. एमसी प्रतिकूल चयन के मामले के समाधान, एमआई द्वारा अनुपालन, निधि के प्रभावी उपयोग की निगरानी और स्टार्टअप्स हेतु बेहतर ऋण उपलब्धता के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए भी उपाय करेंगे।
- viii. प्रबंधन समिति (एमसी) प्रबंधन के अंतर्गत परिसम्पत्ति (एयूएम), एमआई का पूर्ववृत्त अथवा उसकी प्रबंधन टीम, आवश्यकता के आधार पर पूंजी की पर्याप्तता, जहां उपर्युक्त श्रेणी में एमआई के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझा जाए, जैसे अतिरिक्त मानदंड का भी निर्धारण कर सकती है। एमसी कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, एमआई को सूची से हटा/ शामिल कर सकती है।
- ix. एमसी, एमआई और इसके अधिकारियों के संवेदीकरण हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए आवश्यक समझे जाने पर न्यास/न्यासी को अनुदेश देने पर भी विचार कर सकती है और अनुदेश जारी कर सकती है ताकि सीजीएसएस अपेक्षित सहायता प्राप्त कर सके और परिणाम हासिल कर सके।
- x. इसके अलावा, एमसी वित्तीय वर्ष 2022-23 के समाप्त होने के पश्चात्, सीजीएसएस के परिणामों का मूल्यांकन करेगी, विशेष रूप से वित्तीय और आर्थिक परिवर्धनों के संबंध में जो सीजीएसएस के परिणामस्वरूप संग्रहित हुए हैं।
- xi. जबकि सीजीएसएस के व्यापक मानकों को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा, उत्पाद डिजाइन में अभिनव संशोधनों के लिए निरंतर आवश्यकता बनी रहेगी जिसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय-समय पर एमसी के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा। इस स्कीम के मानकों में किसी प्रकार के संशोधन के लिए एमसी के अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी।
- xii. ऊपर दिए अनुसार नियुक्त कोई सदस्य अपनी पदेन क्षमता में तब तक ही सदस्य बना रहेगा जब तक कि वह उक्त कार्यालय में पद पर रहता है और उसके कार्यालय से हटने पर बिना किसी अतिरिक्त अधिनियम या विलेख के उसका उत्तराधिकारी सदस्य बन जाएगा।
- xiii. डीपीआईआईटी, यदि अपेक्षित हो, तो एक नई कार्पोरेट इकाई को शामिल करके अथवा अन्य प्रकार से एमसी के संगठन को परिवर्तित कर सकता है और ऐसा किए जाने तक एमसी के मौजूदा सदस्य बने रहेंगे।
- xiv. एमसी का सदस्य भारत का निवासी होगा। यदि सदस्य स्थायी रूप से भारत छोड़ेगा अथवा यदि बीमारी अथवा अक्षमता अथवा मानसिक अक्षमता के कारण, भारत सरकार की राय में सदस्य के तौर पर कार्य करने के लिए वह असक्षम हो जाता है, तो उसे कार्यालय छोड़ना होगा।
- xv. कोई भी सदस्य सरकार को लिखित रूप में सात दिन की सूचना देने के पश्चात किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकता है और यदि वह एमसी का अध्यक्ष नहीं है तो सूचना की एक प्रति अध्यक्ष को भी भेजनी होगी।

16. जोखिम मूल्यांकन समिति

- डीपीआईआईटी द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन समिति (आरईसी) का गठन किया जाएगा जो प्रबंधन समिति को रिपोर्ट करेगी। आरईसी का न्यासी से निरपेक्ष संबंध होगा ताकि वह हितों के टकराव संबंधी मुद्दों का समाधान कर सके।
- ii. आरईसी के सदस्य रेटिंग एजेंसियों, सेवानिवृत्त बैंककर्मियों, उद्यम ऋण विशेषज्ञों, साख गारंटी विशेषज्ञ आदि से चुने जाएंगे।
- iii. यह समिति एक जोखिम मूल्यांकन निकाय होगी, जो अन्य बातों के साथ-साथ, स्कीम की संरचना डिजाइन, ऋणदाता सदस्य के चयन मानदंड, पोर्टफोलियो संरचना के लिए मानदंड, निधि के लीवरेज मानदंड और स्कीम के ऐसे अन्य विवेकपूर्ण पहलुओं के व्यापक जोखिम पक्षों पर नजर रखेगी। आरईसी स्कीम के समग्र जोखिम मानकों का आकलन करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल है किंतु यह सिर्फ इन पक्षों तक सीमित नहीं है:
 - क. नैतिक खतरे
 - ख. हितों का टकराव, यदि कोई हो
 - ग. स्कीम से संबंधित कोई अन्य जोखिम मानक
- 17. अन्य निगरानी तंत्र:
- i. उद्यम ऋण निधि में भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले अन्य देशों से निवेश के मामले से निपटने के लिए एक निगरानी तंत्र तैयार किया जाएगा।
- ii. एक प्रारंभिक स्तर का मूल्यांकन तंत्र तैयार किया जाएगा ताकि स्कीम के लक्ष्यों का प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय VII

विविध

18. विविध

i. लेन-देन आधारित गारंटी के लिए, एमआई प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर प्रतिवर्ष 31 मार्च तक का प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें उनकी स्टार्ट-अप सहायता स्कीम के तहत उनका संचयी बकाया और बकाया एनपीए दर्शाया जाएगा, जिसे प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त एमआई को नए खातों के लिए गारंटी कवर में विस्तारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि अंतिम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राशि के अनुपात के रूप में 10 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो भावी गारंटी कवर पर 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम लगाया जाएगा और यदि अंतिम प्रबंधन प्रमाण-पत्र के अनुसार, स्कीम के तहत उस एमआई का बकाया एनपीए बकाया राशि के अनुपात के रूप में 15 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो भावी गारंटी कवर पर 20 प्रतिशत से अधिक के लिए 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम लगेगा। गारंटी शुल्क में कोई भी परिवर्तन, जैसा कि ऊपर प्रस्तावित है, संबंधित एमआई द्वारा प्रबंधन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख पर आधारित प्रत्याशित आधार पर होगा, तथा तद्नुसार, उचित गारंटी शुल्क लगाया जाएगा।

- ii. न्यास द्वारा इस स्कीम में निहित प्रावधानों के अनुसरण में पात्र एमआई को राशि जारी करने के पश्चात् जब पात्र एमआई अपने द्वारा शुरु की गई वसूली प्रक्रिया से राशि वसूल कर लेती है, तो पात्र एमआई अपनी कानूनी लागत काटकर यह राशि न्यास के पास जमा कराएगी।
- iii. अम्ब्रेला आधारित गारंटी के लिए,
 - क. वीडीएफ निधि प्राप्त करने के चरण में हैं और वीडीएफ की अंतिम समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है।
 - ख. वीडीएफ की निवेश अवधि समाप्त नहीं हुई है और वीडीएफ ने अपने निवेश बंद नहीं किए हैं।
 - ग. उनके मौजूदा पोर्टफोलियो में एनपीए (अर्थात 90 दिन की चूक अवधि से अधिक वाले खाते) नहीं है। ऐसे खातों को पोर्टफोलियो से बाहर रखने की गारंटी दी जाएगी।
 - घ. प्रचालन के पहले वर्ष से लेकर गारंटी कवर की शुरुआत के वर्ष तक वार्षिक प्रतिबद्धता प्रभार का भुगतान किया जाएगा।
 - ड. गारंटी कवर स्टार्ट-अप्स में निवेश तक सीमित रहेगा। गैर-स्टार्ट-अप निवेश के संबंध में वीडीएफ की हानि इस स्कीम के तहत दावे के लिए पात्र नहीं होगी।
 - च. यदि ग्रीन शू विकल्प/अन्यथा के प्रयोग के कारण वीडीएफ की निधि में वृद्धि होती है तो प्रतिबद्धता प्रभार और एकमुश्त गारंटी शुल्क की गणना ग्रीन शू विकल्प/अन्यथा के प्रयोग की तारीख से वीडीएफ की बढ़ी हुई निधि के आधार पर की जाएगी।
 - छ. गारंटी कवर का विकल्प चुनने वाले मौजूदा वीडीएफ के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एक बारगी अवसर प्रदान किया जाएगा:
 - लाभार्थी की, गारंटी कवर के संबंध में भारत सरकार की किसी स्कीम में कोई देयता लंबित न हो।
 - ऐसी स्थिति में जब एक स्टार्ट-अप इकाई को अनेक एमआई कवर करती हैं, तो गारंटी कवर एमआई में उनके द्वारा दी गई ऋण की राशि के अनुपात में बंट जाएगा। भावी उद्यम ऋण देनदार इस स्कीम के तहत उपलब्ध शेष गारंटी कवर के लिए ही पात्र होगा। इस शर्त का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, सभी एमआई गारंटी कवर लेते समय, एमआई के ब्यौरे तथा इन एमआई से लेनदारों (स्टार्ट-अप) द्वारा लिए गए उद्यम ऋण के ब्यौरे दर्शाएंगे।

19. विवरणियां और निरीक्षण

- सदस्य संस्था (एमआई) ऐसे विवरण और जानकारियां प्रस्तुत करेगी जो इस स्कीम के तहत गारंटी के संबंध में
 न्यास/न्यासी द्वारा अपेक्षित हो।
- ii. सदस्य संस्था (एमआई), न्यास/न्यासी को ऐसे सभी दस्तावेज, प्राप्तियां, प्रमाण-पत्र तथा अन्य लिखित कागजात भी प्रस्तुत करेगी जो उनके द्वारा अपेक्षित हो तथा यह माना जाएगा कि ये दस्तावेज, प्राप्तियां, प्रमाण-पत्र और अन्य लिखित कागजात सही हैं, बशर्ते कि कोई दावा अस्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा सदस्य संस्था (एमआई) अथवा किसी अधिकारी द्वारा सद्भावना से किए गए कार्य पर कोई देयता लंबित नहीं होगी।
- iii. जहां तक इस स्कीम के प्रयोजन के लिए आवश्यक है, न्यास/न्यासी को सदस्य संस्था (एमआई) तथा सदस्य संस्था के किसी ऋणप्राप्तकर्ता के बही खातों तथा अन्य रिकॉर्डों (अग्रिम के संचालन से संबंधित सामान्य निर्देशों वाली निर्देशिका या नियम पुस्तिका या परिपत्र शामिल हैं) के निरीक्षण अथवा उन्हें प्रस्तुत करने का निदेश देने का अधिकार होगा। ऐसा निरीक्षण न्यास/न्यासी के अधिकारियों अथवा निरीक्षण के प्रयोजन के लिए न्यास/न्यासी द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। सदस्य संस्था (एमआई) का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या ऋणप्राप्तकर्ता, जो इस स्थिति में हो, न्यास/न्यासी के अधिकारियों अथवा निरीक्षण के लिए नियुक्त व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध बही खाता व अन्य रिकॉर्ड एवं जानकारी उपलब्ध कराएगा।

iv. अम्ब्रेला आधारित गारंटी के तहत, वीडीएफ द्वारा पोर्टफोलियो के कार्यनिष्पादन की अद्यतन स्थिति तिमाही आधार पर प्रस्तुत की जाएगी।

27 चैम्पियन क्षेत्रों¹ की सूची

विनिर्माण क्षेत्र

- i. एरोस्पेस और रक्षा
- ii. ऑटोमोटिव और ऑटो घटक
- iii. फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइस
- iv. बायो-टेक्नोलॉजी
- v. कैपिटल गुड्स
- vi. वस्त्र एवं परिधान
- vii. रसायन और पेट्रो रसायन
- viii. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्यूफैक्चर्रिंग (ईएसडीएम)
- ix. चमड़ा और फुटवियर
- x. खाद्य प्रसंस्करण
- xi. रत्न और आभूषण
- xii. शिपिंग
- xiii. रेलवे
- xiv. निर्माण
- xv. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

- xvi. सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस)
- xvii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
- xviii. मेडिकल वैल्यू ट्रैवल
- xix. परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेवाएं
- xx. लेखा और वित्त सेवाएं
- xxi. ऑडियो विजुअल सेवाएं
- xxii. कानूनी सेवाएं
- xxiii. संचार सेवाएं
- xxiv. निर्माण और इससे संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
- xxv. पर्यावरणीय सेवाएं
- xxvi. वित्तीय सेवाएं
- xxvii. शिक्षा सेवाएं

[फा. सं. पी-38015/2/2020- स्टार्टअप इंडिया]

संजीव, संयुक्त सचिव

¹ <u>https://dpiit.gov.in/programmes-and-schemes/industrial-promotion/investment-promotion</u> <u>https://dpiit.gov.in/sites/default/files/List_of_Champion_Sectors_08July2020.pdf</u>

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

(STARTUP INDIA SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2025

S.O. 2046(E).— The Central Government has approved the 'Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)' for the purpose of providing credit guarantees to loans extended by Member Institutions (MI) to finance eligible borrowers being Startups as defined in the Gazette Notification issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry.

This notification shall supersede the earlier Gazette notification S.O. 4741(E) dated 06th October 2022 on Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS) and come into effect from the date of this notification.

CHAPTER I

INTRODUCTION

1. Title and date of commencement

- i. The Scheme shall be known as the Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS).
- ii. It shall come into force from the date of notification(s) by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
- iii. Loan/Debt facilities sanctioned to an eligible borrower on or after the date of notification of the scheme shall be eligible for coverage under the scheme.

2. Objective of the scheme

i. The broad objective of CGSS is to provide guarantee upto a specified limit against credit instruments extended by Member Institutions (MI) to finance eligible Startups. This scheme would help provide the much needed collateral free debt funding to Startups.

3. Definitions

For the purpose of this Scheme -

- i. **Trust or Fund** means the Credit Guarantee Fund for Startups (CGFS) proposed to be set up by Government of India with the purpose of guaranteeing payment against default in loans or debt extended to eligible borrowers by eligible Member Institutions, managed by the Board of National Credit Guarantee Trustee Company Limited as the Trustee of the Fund.
- ii. NCGTC means National Credit Guarantee Trustee Company Limited set up on March 28, 2014 by Government of India under the Companies Act 1956 to act as the Trustee to operate various Credit Guarantee Funds/Trusts, set up/to be set up by Government of India from time to time.
- iii. **Non-Performing Asset** means an asset classified as a non-performing asset based on the instructions and guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time.
- iv. Amount in Default means the loan amount outstanding in the loan account(s) of the borrower inclusive of accrued interest, as on the date of the account becoming NPA, or the date of lodgment of claim application whichever is lower or such other amount as may be specified by the Fund.
- v. **Primary security** in respect of a credit facility shall mean the assets (tangible and intangible) created out of the credit facility so extended and/or existing unencumbered assets (tangible and intangible) which are directly associated with the project or business for which the credit facility has been extended.
- vi. Collateral security means the security provided in addition to primary security.
- vii. **Transaction based Guarantee Cover** means guarantee cover obtained by the lending/investing institution on single eligible borrower basis.
- viii. Umbrella based Guarantee Cover means guarantee cover obtained by the lending/investing institution for a group of eligible borrowers.
- ix. Lock in period means the period during which no invocation of guarantee can be made.
- x. Repo Rate is the interest rate at which Reserve Bank of India (RBI) lends to commercial banks.

- xi. **Member Institutions (MI)** means a financial intermediary (Banks, FIs, NBFCs, AIFs) engaged in lending/investing and conforming to the eligibility criteria duly approved under the scheme and as modified by the Trust, from time to time, and who have entered into an agreement with/submitted Undertaking to the Trust for availing the guarantee.
- xii. Venture Debt Fund (VDF) means Debt Fund registered under Alternative Investment Fund (AIF) regulations of SEBI.
- xiii. **Pooled Investment in Startups (PIS)** by a VDF mean cumulative Investments in DPIIT recognized Startups during the life of a fund.
- xiv. Life of VDF means the period from the date of First Close (date of raising of first tranche of resources towards the Corpus) to the terminal date of VDF.
- xv. **Champion Sectors:** The 27 Champion Sectors as identified by the Ministry of Commerce and Industry under the "Make in India" and any amendments thereof, from time to time.

CHAPTER II

SCOPE OF THE SCHEME

4. Eligible borrower

The eligibility criteria for an entity to borrow under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows, wherein an entity should be:

- i. Startup as recognized by DPIIT as per Gazette Notifications issued from time to time, and
- ii. Startup not in default to any lending/investing institution and not classified as Non-Performing Asset as per RBI guidelines, and
- iii. Startup whose eligibility is certified by the Member Institution for the purpose of guarantee cover.

5. Eligible lending/investing institutions

The eligibility criteria for the lending/investing institutions under the Credit Guarantee Scheme for Startups shall be as follows:

- i. Scheduled Commercial Banks and Financial Institutions,
- ii. RBI registered Non-Banking Financial Companies (NBFCs) having a rating of BBB and above as rated by external credit rating agencies accredited by RBI and having minimum networth of Rs. 100 crore. However, it may be noted that in case an NBFC subsequently becomes ineligible, due to a downgrade in the credit rating below BBB, the NBFC shall not be eligible for further guarantee cover till upgradation again to eligible category.
- iii. SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs).

6. Agreement/undertaking to be executed/furnished by the lending/investing institution

A lending/investing institution shall not be entitled to a guarantee in respect of eligible loan/ venture debt facilities granted by it unless it has entered into an agreement with Trustee/submitted an undertaking to the Trustee in such form as may be required by the Trustee.

7. Responsibilities of Member Institution under the Scheme

The responsibilities of Member Institution (MI) under the scheme are as follows:

- i. The MI shall evaluate credit applications by using prudent banking judgement and shall use their business discretion / due diligence in selecting commercially viable proposals and conduct the account(s) of the borrowers with normal banking prudence.
- ii. The MI shall closely monitor the borrower account.
- iii. The MI shall safeguard the primary securities taken from the borrower in respect of the credit facility in good and enforceable condition.
- iv. The MI shall ensure that the guarantee claim in respect of the credit facility and borrower is lodged with the Trust in the form and in the manner and within such time as may be specified by the Trust in this behalf and that there shall not be any delay on its part to notify the default in the borrowers account which shall result in the Trust facing higher guarantee claims.
- v. The payment of guarantee claim by the Trust to the MI does not in any way take away the responsibility of the lending/investing institution to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower. The MI

shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of credit facility owed by it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by the Trust/Trustee.

- vi. The MI shall comply with such directions as may be issued by the Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a guarantor, as the Trust/Trustee may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions.
- vii. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate the Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or security. The MI shall also ensure either through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, that it shall not create any charge on the security held in the account covered by the guarantee for the benefit of any account not covered by the guarantee, with itself or in favour of any other creditor(s) without intimating the Trust. Further the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to list the defaulted borrowers' names and particulars on the Website of the Trust/Trustee.

CHAPTER III

FEE STRUCTURE

8. Guarantee Fee

For transaction-based guarantee cover:

- i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Annual Guarantee Fee (AGF) of 2% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee.
- ii. For units from the North East region as well as those of women entrepreneurs, the Member Institution shall pay a standard rate of 1.5% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee.
- iii. For units from the 27 champion sectors, the Member Institution shall pay a standard rate of 1% p.a. of the disbursement/outstanding amount (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) as on the date of application of guarantee cover, upfront to the Trust within 30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of guarantee fee.
- iv. All subsequent AGFs would be calculated on the basis of the outstanding (on sanction amount, in case of working capital facility and non-fund based facility) loan/venture debt amount as at the beginning of the Financial Year and on additional disbursements made during the first and subsequent years out of the total sanctioned amount on prorata basis.
- v. However, the Management Committee (MC) of CGSS reserves the right to revise the guarantee fees of specific MI depending on the basis of their Rating, NPA level, payout ratios etc. The revision, if any, shall be applicable in respect of proposals for which fresh guarantee cover has been sought by the MI.
- vi. The demand on MI for the AGF in respect of fresh guarantees would be raised upon approval of guarantee cover. The guarantee start date would be the date on which proceeds of the AGF are credited to Trust's Bank account. The AGF shall be calculated on pro-rata basis for the first (from date of first/subsequent disbursement) and last year (till closure of the account) and in full for the intervening years on the outstanding loan amount (on the sanction amount, in case of working capital limits and non-fund based facility) at the beginning of the financial year. For renewal of guarantee cover at the beginning of the year, the AGF shall be paid by the MI within 30 days i.e. on or before April 30, of every year.
- vii. Provided further that in the event of non-payment of AGF within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trustee on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of those credit facility against which the AGF are due and not paid.

For umbrella-based guarantee cover:

i. For availing the guarantee cover, the Member Institution shall pay Guarantee Fee in the form of Annual Commitment Charge (ACC) of 0.15% p.a. of the proposed Pooled Investment in Startups upfront to the Trust within

30 days from the date of Credit Guarantee Demand Advice Note (CGDAN) of Commitment Charge. The MI shall pay the balance Guarantee Fee (commitment charges) from time to time in case the Pooled Investment amount in Startups is higher than what was proposed initially.

- ii. All subsequent ACCs would be calculated on the same basis i.e. 0.15% of the Pooled Investment in Startups of VDF and for renewal of guarantee cover, MI shall pay the ACC within 30 days i.e. on or before April 30, of every year till the end of life cycle of VDF. ACCs remitted by the VDF are non-refundable.
- iii. MI shall pay 1% of the Pooled Investment in Startups as one-time guarantee fees, at the time of invocation of Guarantee claim/admission of claim file. In case no claim is preferred by the MI, it shall pay 0.25% of the Pooled Investment in Startups as guarantee closure charges within 30 days of the date of closure of VDF.
- iv. In case of delay of payment beyond the periods stipulated above, the MI shall have to pay the same with penal charges of 4% above prevailing Repo Rate till the date of final payment.
- v. The ACC shall be calculated for the full year during the life of the VDF including for the first and last years of operations irrespective of the date of commencement of operations and date of closure of the VDF. No pro rata payment is envisaged for the first and last years of VDF.
- vi. In the event of non-payment of ACC within the stipulated time or such extended time that may be agreed to by Trust on such terms, liability of the Trust to guarantee such credit facility would lapse in respect of the credit facility against which the ACC is due and not paid.
- vii. In the event of any shortfall in the payment of commitment charges, guarantee cover shall not start until the balance commitment fee amount is paid by the MI. Any amount found to have been paid in excess would be refunded by the Trust. In the event of any representation made by the MI in this regard, the Trust shall take a decision based on the available information with it and the clarifications received from the MI. Notwithstanding the same, the decision of Fund/Trustee shall be final and binding on the MI.
- viii. The guarantee fee/commitment charges once paid by the MI to Fund is non-refundable, except under certain circumstances like
 - a. Excess remittance
 - b. Remittance made more than once against the same portfolio/Venture Debt
 - c. Annual guarantee fee/commitment charges not fallen due.
- ix. The MI shall furnish a Statutory Auditor Certificate/Management Certificate as prescribed by the Trust with every new application or continuity/updation file during the renewal of guarantee cover certifying the following:
 - a. The accounts for which guarantee is being taken conform to eligible loans sanctioned after the CGSS notification date.
 - b. Debt facilities have been sanctioned after proper due diligence and sanction by the Investment Committee of the VDF.
 - c. The activity of the borrower for which the credit/debt facility was granted, has not ceased.

CHAPTER IV

GUARANTEES

9. Guarantee Format

- i. Credit guarantee cover under this model would be either transaction based or umbrella based.
- ii. AIFs shall not be eligible to avail transaction based guarantee cover under the scheme.
- iii. In respect of transaction-based guarantee cover, the guarantee cover will commence from the date of payment of guarantee fee and shall run through the agreed tenure of the Loan/debt facility.
- iv. In respect of umbrella-based guarantee, the cover is based on the Pooled Investment in Startups. The guarantee cover will commence from the date of payment of commitment charges and shall run through the life of the VDF provided the borrowers being covered are eligible for coverage under the scheme and commitment charges are paid from the first year of operations of VDF annually till its closure.

10. Instruments of assistance

i. The instruments of assistance would be in the form of Venture debt, working capital, subordinated debt/mezzanine debt, debentures, Optionally Convertible debt and other fund based as well as non-fund-based facility which has crystallized as a debt obligation.

ii. In the event of converting optionally convertible debt, partially or fully, to equity, the debt obligation of the borrower and the guarantee will stand reduced to the extent of equity conversion. [However, the MI need to take prior permission from Fund/Trustee which could be given conditionally or at a pre-closure premium or it will be treated as cash inflow while final settlement of claims.]

11. Ceiling on guarantee cover

- i. Maximum guarantee cover per borrower shall not exceed Rs. 20 crore.
- ii. The credit facility being covered here should not have been covered under any other guarantee scheme.
- iii. In respect of credit facilities where a portion of the same has been secured by way of partial collateral security, the remaining part comprising of the unsecured facility will be covered under the guarantee scheme. The guarantee will be limited to the outstanding limit less the value of collateral security accepted by the MI at the time of sanction of facilities in terms of its valuation policy guidelines, subject to compliance of other conditions of the scheme.

12. Extent of the guarantee

For transaction-based guarantee cover - The Trust shall provide guarantee cover, subject to a maximum of Rs. 20 crore per borrower, as per details given below:

- i. 85% of the amount in default for loan amount up to Rs. 10 crore; and
- ii. 75% of the amount in default for loan amount exceeding Rs. 10 crore.

For umbrella-based guarantee cover

i. The Trust shall provide guarantee cover of actual losses or upto a maximum of 5% of Pooled Investment on which cover is being taken from the fund in Startups, whichever is lower, subject to a maximum of Rs. 20 crore per borrower. Losses are defined as aggregate of principal investments of written off assets along with three months accrued interest from the date of default. In case of partially written off assets, only the principal portion written off along with three months accrued interest thereon from the date of default will be accounted for the loss assets. The umbrella-based guarantee cover will run through the life of the venture debt fund.

CHAPTER V

CLAIMS

13. Invocation of guarantee/claim settlement

For transaction-based guarantee cover

- i. The guarantee in respect of that credit facility was in force at the time of account turning NPA.
- ii. The lock-in period of 12 months from the date of commencement of guarantee cover in respect of credit facility covered, has elapsed;
- iii. The amount due and payable to the MI in respect of the loan/venture debt credit facility has not been paid and the dues have been classified by the MI as Non Performing Asset. Provided that the MI shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said loan/venture debt credit facility, if the loss in respect of the said credit facility had occurred owing to actions/decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust.
- iv. A lock-in-period of 12 months has been stipulated from the date of commencement of guarantee cover.
- v. Maximum guarantee amount payable to an MI to accounts guaranteed under the Scheme during a year shall be capped at 20% of the total sanctions during a year (where at least 90% amount has been disbursed).
- vi. The MI may invoke the guarantee in respect of credit facilities within a maximum period of 12 months from the date of NPA, if NPA is after lock-in period or within two years of lock-in period, if NPA is within lock-in period, after the following conditions are satisfied:
 - a. Prior to lodging of claim, MI shall ensure that the loan/debt facility has been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as may be considered suitable by the Trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time.
 - b. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee.

- c. For transaction-based guarantee cover, the Trust shall pay 75 per cent of the guaranteed amount on preferring of eligible claim by the MI, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects. The Trust shall pay to the MI interest on the eligible claim amount at the prevailing Repo Rate for the period of delay beyond 30 days. The balance 25 per cent of the guaranteed amount will be paid on conclusion of recovery proceedings by the MI or write off of the unpaid dues of the borrower by the MI. On a claim being paid, the Trust shall be deemed to have been discharged from all its liabilities on account of the guarantee in force in respect of the borrower concerned.
- vii. One Time Settlement (OTS) shall be allowed for MI only after 1 year of the account turning NPA at a haircut of 20% below the existing guarantee cover.

For umbrella-based guarantee cover

- i. The guarantee cover in respect of VDF was in force at the time of closure of VDF and that there are no pending Annual Commitment Charge.
- ii. Guarantee fee of 1% on the covered Pooled Investment in Startups has been paid by the MI.
- iii. The amount due and payable to the VDF in respect of the venture debt facility has not been paid and the dues are observed to be non-recoverable. Provided that the VDF shall not make or be entitled to make any claim on the Trust in respect of the said venture debt facility, if the loss in respect of the said facility had occurred owing to actions / decisions taken contrary to or in contravention of the guidelines issued by the Trust.
- iv. VDF shall submit a certificate from its Statutory Auditor containing particulars of loss assets [name of the investee company, date of investment, particulars of principal written off (amount and date of write off), recoveries made if any, terms of the venture debt facility like coupon rate, repayment schedule, and date of default] at the time of lodgment of claim. Recoveries made, if any, will be deducted from the loss assets for arriving the claim amount at the time of settlement.
- v. The MI may invoke the guarantee in respect of venture debt facilities after the completion of the life cycle of VDF prior to distribution of final proceeds, and subject to the following conditions:
 - a. Prior to lodging of claim, MI shall ensure that the venture debt facilities have been recalled and the recovery proceedings have been initiated under due process of law via Arbitration, IBC, SARFAESI, DRT or through any other proceedings in the Courts or outside as maybe considered suitable by the trustee. In case of proceedings under IBC, admission of notice and appointment of Insolvency Resolution Professional (IRP) is required. In case of SARFAESI, action as contained in Section 13 (4) of the Act, wherein a secured creditor can take recourse to any one or more of the recovery measures out of the four measures indicated therein, should have been undertaken. In case of DRT, application should have been lodged therein. Similar action should have been undertaken under other modes of recovery, as may be decided by the Fund/Trustee from time to time.
 - b. The claim should be preferred by the MI in such manner and within such time as may be specified by the Trustee.
 - c. The payment of guarantee claim to the MI does not in any way take away the responsibility of the MI to recover the entire outstanding amount of the credit from the borrower with applicable interest. The MI shall exercise all the necessary precautions and maintain its recourse to the borrower for entire amount of Startup credit facility owed to it and initiate such necessary actions for recovery of the outstanding amount, including such action as may be advised by Trust/Trustee.
 - d. The MI shall comply with such directions as may be issued by Trust/Trustee, from time to time, for facilitating recoveries in the guaranteed account, or safeguarding its interest as a credit guarantor, as Trust may deem fit and the MI shall be bound to comply with such directions.
 - e. The MI shall, in respect of any guaranteed account, exercise the same diligence in recovering the dues, and safeguarding the interest of the Trust in all the ways open to it as it might have exercised in the normal course if no guarantee had been furnished by the Trust. The MI shall, in particular, refrain from any act of omission or commission, either before or subsequent to invocation of guarantee, which may adversely affect the interest of the Trust as the guarantor. In particular, the MI should intimate Trust/Trustee while entering into any compromise or arrangement, which may have effect of discharge or waiver of personal guarantee(s) or primary security. Further, the MI shall secure for the Trust/Trustee or its appointed agency, through a stipulation in an agreement with the borrower or otherwise, the right to publish the defaulted borrowers' names and particulars.
 - f. For umbrella based guarantee cover, the Trust shall pay 100% of the guaranteed amount, as eligible under this Scheme, as full and final claim, within 60 days, subject to the claim being otherwise found in order and complete in all respects.

- g. Any upside earnings, arising out of return on equity linked instruments shall be netted out of settlement amount or refunded to Trust as and when such returns are booked by the MI.
- h. The MI shall be liable to refund the claim released by the Trust together with penal interest at 4% p.a. over and above the prevailing Repo Rate, if such a recall is made by the Trust in the event of deficiencies having existed in the matter of appraisal / renewal / follow-up / conduct of the loan or where lodgement of the claim was more than once or where there existed suppression of any material information on part of the MI for the settlement of claims. The MI shall pay such penal interest, when demanded by the Trust, from the date of the initial release of the claim by the Trust to the date of refund of the claim.

14. Subrogation of rights and recoveries on account of claims paid

- i. The MI shall furnish to the Trust/Trustee, the details of its efforts for recovery, realizations and such other information as may be demanded or required from time to time. The MI will hold lien on assets created out of the credit facility extended to the borrower, on its own behalf and on behalf of the Trust. The Trust shall not exercise any subrogation rights and that the responsibility of the recovery of dues including takeover of assets, sale of assets, etc., shall rest with the MI.
- ii. Every amount recovered in any financial quarter and due to be paid to the Trust shall be paid within 30 days of the end of the quarter without delay, and if any amount due to the Trust remains unpaid beyond a period of 30 days from the stipulated date, interest shall be payable to the Trust by the MI at the rate which is 4% above prevailing Repo Rate for the period for which payment remains outstanding after the expiry of the said period of 30 days.
- iii. Remittance of post claim recoveries by the MI to the guarantor is restricted to a maximum period of 3 years post settlement of final claim, pursuant to which the account will be closed in the books of the Trust.
- iv. In the event of a borrower owing several distinct and separate debts to the MI and making payments towards any one or more of the same, whether the account towards which the payment is made is covered by the guarantee of the Trust or not, such payments shall, for the purpose of this clause, be deemed to have been appropriated by the Member Institution to the debt covered by the guarantee and in respect of which a claim has been preferred and paid, irrespective of the manner of appropriation indicated by such borrower or the manner in which such payments are actually appropriated.

CHAPTER VI

MANAGEMENT

15. Management Committee

- i. There shall be a Management Committee (MC) constituted by the DPIIT to oversee the affairs of the Trust.
- ii. The MC shall be responsible for reviewing, supervising and monitoring the' functioning of Trust and shall provide necessary guidance to the Trust on broad policy matters related to the Credit Guarantee Scheme.
- iii. The MC shall be fully empowered to appraise the performance of the scheme and to revise the following parameters pertaining to the scheme:
 - a. Types of Guarantee products
 - b. Extent of Guarantee Coverage
 - c. Instruments eligible under the Scheme
 - d. Coverage amount and calculation of losses
 - e. Guarantee Fee
 - f. Claims settlement & Invocation of Guarantees
 - g. Fix, revise and monitor the limits in respect of leverage ratio
 - h. Any other thematic parameter pertaining to CGSS
 - i. Eligibility of MI
- iv. The DPIIT may entrust the MC with such other responsibilities as it may deem necessary in the interest of the scheme.
- v. The structure of the MC shall be as under:
 - a. Secretary, DPIIT, Chairperson
 - b. Additional Secretary & Financial Advisor, DPIIT, Member
 - c. Additional Secretary / Joint Secretary (Startups), DPIIT, Member

- d. Joint Secretary, Department of Financial Services, Member
- e. Chief Executive Officer (CEO), NCGTC, Member Secretary
- f. Experts from the ecosystem as may be nominated by the Secretary, DPIIT from time to time
- vi. DPIIT may nominate to the MC such experts from the startup ecosystem as it may consider necessary as members subject to no conflict of interest and decide on the terms and conditions of engagement. The MC may invite to its meetings such expert(s) from the industry/relevant field as it may consider necessary as "Special Invitee(s)" for seeking advice and guidance on the matters of the CGSS.
- vii. The MC shall also take measures as may be necessary to address the issue of adverse selection, compliance by MI, monitor effective utilization of the fund and achievement of desired outcomes for better debt availability for Startups.
- viii. The Management Committee (MC) may also prescribe additional criteria like Assets under Management (AUM), track record of the MI or its Management Team, capital adequacy depending on requirements where considered necessary to qualify as MI within the above category. The MC may, on review of performance, remove/add the MI from the list.
- ix. The MC shall also consider and issue instructions to the Trust/Trustee as may be considered necessary in order to address measures necessary for sensitization of MI and their officials so that CGSS obtains the desired support and outcomes achieved.
- x. Further, the MC shall evaluate the outcomes of CGSS after close of FY 2022-23, especially with reference to financial and economic additionalities that accrued as a consequence of CGSS.
- xi. While the broad parameters of the CGSS would get notified through the Gazette, there would be a continuous need for innovative modifications in the product design which could be carried out through the MC from time to time with due approval of the Competent Authority. Any modification in the Scheme parameters also require the approval of MC.
- xii. A member appointed as above in his/her ex-officio capacity shall remain as a member only as long as he/she holds that office and upon his/her vacating that office, his/her successor shall become a member without any further Act or Deed.
- xiii. DPIIT may, if required, change the constitution of the MC by incorporating a new corporate entity or otherwise and till such time the existing members of the MC shall continue.
- xiv. The member of the MC shall be resident of India. The office of the member shall be vacated if he shall permanently leave India or if for reasons of illness or infirmity or mental incapacity he, in the opinion of the Government, becomes incompetent or incapable to act, as Member.
- xv. A member may retire at any time after giving seven days' notice in writing to the Government and unless he/she is the Chairperson of the MC, a copy of the notice shall also be sent to Chairperson.

16. Risk Evaluation Committee

- i. A Risk Evaluation Committee (REC) shall be constituted by DPIIT, which would report to the Management committee. The REC will have an arms' length relationship with the Trustee to address conflict of interest issues.
- ii. The members of the REC shall be drawn from rating agencies, retired bankers, venture debt specialists, credit guarantee experts etc.
- iii. The Committee would be a risk evaluation body, inter alia, looking into the broad risk aspects of the schematic design, selection criteria of member lenders, criteria for portfolio structuring, leverage norms for the fund and such other macro-prudential aspects of the scheme. The REC shall assess the overall risk parameters of the scheme, including but not limited to:
 - a. Moral Hazards.
 - b. Conflict of Interest, if any
 - c. Any other risk parameters pertaining to the scheme.

17. Other monitoring mechanisms

- i. A surveillance mechanism shall be evolved to deal with investments from the countries sharing land border with India in Venture Debt Funds.
- ii. An early-stage evaluation mechanism shall be embedded to ensure that targets of the scheme are achieved effectively.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

18. Miscellaneous

- i. For transaction-based guarantee, the MI shall submit a Management Certificate as at March 31 each year indicating the cumulative outstanding and outstanding NPAs under their Startup Assistance Scheme within 3 months of the close of FY failing which the said MI shall not be extended guarantee cover for fresh accounts. Further, in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 10%, additional risk premium of 0.25% p.a. shall be charged on future guarantee covers and in case the outstanding NPAs of that MI as a ratio of outstanding under the scheme as per last Management Certificate exceeds 15%, additional risk premium of 0.5% p.a. & 0.75% p.a for over 20% shall be charged on future guarantee covers. Any change in the Guarantee Fee as proposed above shall be on a prospective basis based on the date of submission of the Management Certificate by the respective MI and, accordingly, appropriate guarantee fee shall be charged.
- ii. Where subsequent to the Trust having released a sum to the eligible MI towards the amount in accordance with the provisions contained in this scheme, the eligible MI recovers money subsequent to the recovery proceedings initiated by it, the same shall be deposited by the eligible MI with the Trust, after adjusting towards the legal costs incurred by it.

iii. For umbrella-based guarantee,

- a. VDFs are in fund raising stage and Final Close of the VDFs has not been declared.
- b. The investment period of the VDFs has not expired and VDFs have not closed their investments.
- c. There are no NPAs (i.e. accounts with over 90 days default) in their existing portfolio. Such accounts to be kept out of the portfolio being guaranteed.
- d. Annual Commitment Charges shall be paid from the first year of operations till the year of commencement of guarantee cover.
- e. Guarantee cover shall be restricted to investments in Startups. Losses of the VDF with respect to non startup investments will not be eligible for claim under the scheme.
- f. In case the corpus of VDF gets enhanced due to exercise of green shoe option/otherwise, commitment charges and one time guarantee fees shall be calculated based on the enhanced corpus of VDF from the date of exercise of green shoe option/otherwise.
- g. Existing VDFs, opting to avail the guarantee cover, one time opportunity will be extended subject to the following:
 - The beneficiary has not any pending liabilities in any scheme of Government of India, in respect of guarantee cover
 - In a situation in which a single startup unit has been covered by multiple MI, the guarantee cover shall be shared amongst the MI in proportion to their outstanding debt amount. Future venture debt lenders shall be eligible only for the balance guarantee cover as available under the scheme. To ensure the enforcement of this condition, all MI shall, while seeking guarantee cover, indicate the details of the MI and the venture debts obtained by the borrower (startup) from these MI.

19. Returns and inspections

- i. The MI shall submit such statements and furnish such information as the Trust/Trustee may require in connection with guarantee under this Scheme.
- ii. The MI shall also furnish to the Trust/Trustee all such documents, receipts, certificates and other writings as the latter may require and shall be deemed to have affirmed that the contents of such documents, receipts, certificates and other writings are true, provided that no claim shall be rejected and no liability shall attach to the MI or any officer thereof for anything done in good faith.
- iii. The Trust/Trustee shall, insofar as it may be necessary for the purposes of the Scheme, have the right to inspect or call for copies of the books of account and other records (including any book of instructions or manual or circulars covering general instructions regarding conduct of advances) of the MI, and of any borrower from the Member Institution. Such inspection may be carried out through the officers of the Trust/Trustee or any other person appointed by the Trust/Trustee for the purpose of inspection. Every officer or other employee of the MI or the borrower, who is in a position to do so, shall make available to the officers of the Trust/Trustee or the person appointed for the inspection as the case may be, the books of account and other records and information which are in his possession.

iv. Under umbrella-based guarantee, updates on the performance of the portfolio shall be submitted by the VDF on a quarterly basis.

List of 27 Champion Sectors²

Manufacturing Sectors

- i. Aerospace and Defence
- ii. Automotive & Auto Components
- iii. Pharmaceuticals and Medical Devices
- iv. Bio-Technology
- v. Capital Goods
- vi. Textiles and Apparels
- vii. Chemicals and Petro-Chemicals
- viii. Electronics System Design and Manufacturing (ESDM)
- ix. Leather & Footwear
- x. Food Processing
- xi. Gems and Jewellery
- xii. Shipping
- xiii. Railways
- xiv. Construction
- xv. New and Renewable Energy

Service Sectors

- xvi. Information Technology & Information Technology enabled Services (IT &ITeS)
- xvii. Tourism and Hospitality Services
- xviii. Medical Value Travel
- xix. Transport and Logistics Services
- xx. Accounting and Finance Services
- xxi. Audio Visual Services
- xxii. Legal Services
- xxiii. Communication Services
- xxiv. Construction and related Engineering Services
- xxv. Environmental Services
- xxvi. Financial Services
- xxvii. Education Services

[F. No. P-38015/2/2020-Startup India] SANJIV, Jt. Secy.

² <u>https://dpiit.gov.in/programmes-and-schemes/industrial-promotion/investment-promotion</u> <u>https://dpiit.gov.in/sites/default/files/List_of_Champion_Sectors_08July2020.pdf</u>